UPBJ010037972022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशांत मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174

सेशन्स वाद संख्याः 484 सन् 2022

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन।**

बनाम

नौशाद पुत्र कमरूददीन,
निवासी ग्राम आले अलीपुर, थाना नगीना, जिला बिजनौर।

.... **अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्याः–141/2022
धाराः– 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थानाः–नगीना,
जिला बिजनौर।

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध पुलिस थाना नगीना, जिला बिजनौर द्वारा अपराध संख्या 141/2022 में आरोप पत्र संख्या 132/2022, अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ, थाना नगीना द्वारा दिनांक 02–05–2022 को, थाना नगीना में फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि ''दिनांक 02–05–2022 को मै उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहं मय हमराह कां0 129 लोकेश कुमार व कां0 710 नेपाल सिहॅ के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 41, समय 18:11 बजे, वास्ते गश्त व देखरेख शांति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मामूर होकर गश्त करते हुए डबल फाटक के पास पहुॅचे तो मुखबिर खास ने पास आकर सूचना दी कि साहब ग्राम आले अलीपुर का हिस्ट्रीशीटर नौशाद, कालाखेडी फाटक के पास खडा है जिसके पास चरस है, जो चरस बेचने के लिए खडा है। यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर यकीन कर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है और मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान की तरफ चल दिए। जब हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताये स्थान कालाखेडी फाटक से पहले मोड के पास पहुॅचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि साहब जो व्यक्ति नीली जींस व गुलाबी रंग फूलदार शर्ट पहने खडा है, यही नौशाद है जिसके पास चरस है। इतना बताकर मुखबिर चला गया। इस पर हम पुलिस वालो ने बिना समय गवांये सिखलाये तरीके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर घोटकर पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछा तो पकडे हुए व्यक्ति ने बताया कि साहब मेरे पास चरस है। चरस की बात सुनकर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा पकडे गये व्यक्ति को बताया गया कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा ली जायेगी। इस पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन नं0 8279768840 से श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना महोदय को सीयूजी नं0 9454401535 पर इस संबंध में जानकारी दी गयी तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना द्वारा बताया गया कि मै रास्ते में ही हूं और जल्दी ही आपके पास पहुॅच रहा हूँ। श्रीमान क्षेत्राधिकारी

नगीना घटनास्थल पर उपस्थित आये। इस पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना के आदेश पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कां0 710 नेपाल व कां0 129 लोकेश कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नौशाद पुत्र कमरूददीन, निवासी ग्राम आलेअलीपुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर, उम्र करीब 38 वर्ष बताया। जामा तलाशी से पहने जीन्स की पेन्ट के दाहिने सुड्डे से काली रंग की पोलीथीन में काले रंग की चरस बरामद हुयी। बरामद चरस को सूंघा व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाया तो चरस की बू आ रही थी। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा का0 710 नेपाल सिंह को भेजकर तराजू बाट मंगाया गया। बरामद चरस को रुबरू श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना व गवाहान हमराहीयान के समक्ष तौल कर देखा गया तो अभियुक्त नौशाद से बरामद चरस का कुल वजन 510 ग्राम आया। बरामद चरस के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति से पूछा तो माफी मांगने लगा और बताया कि साहब मैं इस चरस को बेचने के लिए नगीना आया था और इस चरस को बेचकर मिले पैसे से मैं ईद का त्यौहार मनाता। पकडे गये अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय करीब 21:35 बजे, पुलिस हिरासत लिया गया। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। बरामद चरस में से 50 ग्राम चरस निकालकर तौलकर बतौर नमूना अलग कर प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सफेद कपडे में रखकर सील कर, सील सर्वे मुहर किया गया व नमूना मुहर तैयार किया गया। शेष चरस 460 ग्राम को एक अलग प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर, सफेद कपडे में रखकर, सील कर, सील सर्वे मुहर किया गया व नमूना मुहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में मुझ उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी। फर्द को पढकर, सुनाकर, गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर कराये गये। गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर उचित माध्यम से अभियुक्त के परिजनो को दी जायेगी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त नौशाद को देकर आलामात बनवाये गये।''

3– उक्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना, जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या 141/2022 अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

4– विवेचक द्वारा बाद विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा एकत्रित की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 141/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप दिनांक 28–03–2025 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

6– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू01 के रूप में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ (वादी मुकदमा), पी0डब्लू–2 के रूप में बरामदगी के अन्य साक्षी कॉ0 710 नेपाल सिहॅ, पी0 डब्लू03 के रूप में (प्राथमिकी लेखक) कॉ0 262 जगन्नाथ सिहॅ, पी0 डब्लू04 के रूप में (विवेचक) उपनिरीक्षक अजय कुमार, व पी0 डब्लू05 के रूप में कां0 जफर हुसैन को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षियो से अभियुक्त की ओर से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई है। अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

7– **पी0डब्लू–1** द्वारा फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क–1** के रूप में, गिरफ्तारी प्रपत्र को **प्रदर्श क–2** के रूप में, नमूना मुहर को **प्रदर्श क–3** के रूप में, जी0डी0 रवानगी को **प्रदर्श क–4** के रूप में, माल रजिस्टर की छाया प्रति को **प्रदर्श क–5** के रूप में, डिब्बे को **वस्तु प्रदर्श–1** के रूप में, पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–2** के रूप में, दूसरे पुलिंदे की प्लास्टिक के डिब्बे को **वस्तु प्रदर्श–3** के रूप में,

दूसरे पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–4** के रूप में, **पी0 डब्लू03** द्वारा मुकदमे की चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–6** के रूप में व कायमी मुकदमा की जी0डी0 को **प्रदर्श क–7** के रूप में तथा **पी0डब्लू–4** द्वारा नक्शा नजरी को **प्रदर्श क–8** के रूप में, आरोप पत्र को **प्रदर्श क–9** के रूप में तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को **प्रदर्श क–10** के रूप में साबित किया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8– अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना व साक्षियों के बयानों को गलत बताते हुये मुकदमा झूँठा चलना तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा यह कहा कि पुलिस द्वारा रंजिशन झूँठा फंसाया गया है उसे कोई सफाई साक्ष्य नहीं देना है।

9– दौरान बहस अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र ख–26 सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायहित में स्वीकार करते हुए अभियुक्त को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

10– सफाई साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से डी0डब्लू–1 शमा को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रार्थनापत्र सूची ख–29 से प्रधानी के चुनाव के समय नाम निर्देशन पत्र, शपथपत्र नौशाद, रसीद आदि प्रस्तुत किए गए है।

11– मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

12– अभियोजन द्वारा, दिनांक 02–05–2022 को पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफतार करने पर उसकी जामा तलाशी से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में 5 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

13– **पी0 डब्लू01 उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅं,** जो कि इस अभियोग के वादी मुकदमा व बरामदगी के साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मैं दिनांक 02.05.2022 को थाना नगीना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कां0 129 लोकेश कुमार व कां0 710 नेपाल सिहॅं के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 41, समय 18.11 बजे, वास्ते गश्त व देखरेख शांति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में गश्त करते हुए डबल फाटक के पास पहुॅचे तो मुखबिर खास ने पास आकर सूचना दी कि ग्राम आलेअलीपुर का हिस्ट्रीशीटर नौशाद, कालाखेडी फाटक के पास खडा है जिसके पास चरस है, जो चरस बेचने के लिए खडा है। यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर यकीन कर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है और मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिए। जब हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताये स्थान कालाखेडी फाटक से पहले मोड के पास पहुॅचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि साहब जो व्यक्ति नीली जींस व गुलाबी रंग फूलदार शर्ट पहने खडा है, यही नौशाद है जिसके पास चरस है। इतना बताकर मुखबिर चला गया। इस पर हम पुलिस वालो ने बिना समय गवांये सिखलाये तरीके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर घोटकर पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछा तो पकडे हुए व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास चरस है। चरस की बात सुनकर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा पकडे व्यक्ति को बताया कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जायेगी। इस पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन नं0 8279768840 से श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना को सीयूजी नं0 9454401535 पर इस संबंध में जानकारी दी गयी तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना द्वारा बताया गया कि मै रास्ते में ही हूं और जल्दी ही आपके पास पहुँच रहा हूँ। क्षेत्राधिकारी नगीना घटनास्थल पर उपस्थित आये। जिस पर सी0ओ0 नगीना के आदेश पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कां0 710 नेपाल व कां0 129 लोकेश कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नौशाद पुत्र कमरूददीन, निवासी ग्राम आलेअलीपुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर, उम्र

करीब 38 वर्ष, बताया। जामा तलाशी से पहने जीन्स के दाहिने सुडडे से काली रंग की पोलीथीन में काले रंग की चरस बरामद हुयी। बरामद चरस को सूंघा व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाया तो चरस की बू आ रही थी। इस पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कां0 710 नेपाल सिंह को भेजकर तराजू बाट मंगाया गया। बरामद चरस को रुबरू श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना व गवाहान के समक्ष तौलकर देखा गया तो अभियुक्त नौशाद से बरामद चरस का कुल वजन 510 ग्राम आया। बरामद चरस के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति से पूछा तो माफी मांगने लगा और बताया कि साहब मैं इस चरस को बेचने के लिए नगीना आया था और इस चरस को बेचकर मिले पैसे से मैं ईद का त्यौहार मनाता। पकडे गये अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय करीब 21:35 बजे, पुलिस हिरासत लिया गया। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। बरामद चरस में से 50 ग्राम चरस निकालकर तौलकर बतौर नमूना अलग कर काले रंग की पोलीथीन में प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर, सील कर सर्वे मुहर कर, नमूना मोहर बनाया गया। शेष 460 ग्राम चरस को एक अलग प्लास्टिक के डिब्बे में काली पोलीथीन में रखकर, सफेद कपडे में रखकर, सील कर, सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार किया गया, फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में मुझ उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी। फर्द को पढकर, सुनाकर, गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर कराये गये। फर्द मूल रूप से पत्रावली पर कागज सं0 क–7 पर मौजूद है जिस पर मेरे व सी0ओ0 नगीना व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर तथा अभियुक्त के आलामात है जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र पत्रावली पर कागज सं0 क–9 पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। नमूना मुहर पत्रावली पर कागज सं0 ब–17 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। जी0डी0 पत्रावली पर कागज सं0 ख–18/1 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। माल रजिस्टर की छाया प्रति जो थाने द्वारा प्रमाणित है, पत्रावली पर कागज सं0 ख–18/2 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। माननीय न्यायालय के सामने 02 सील सर्वे पुलिन्दे आये और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार खोले गये। पहला पुलिंदा खोला तो उसके अन्दर से प्लास्टिक का सफेद रंग का पारदर्शी डिब्बा निकला, डिब्बे के अन्दर से काले रंग की पोलीथीन निकली। पोलीथीन के अन्दर से काले रंग का पदार्थ निकला। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही चरस है जो कि मैंने अभियुक्त नौशाद से मौके से 510 ग्राम बरामद की थी जिसमे से 50 ग्राम परीक्षण हेतु अलग निकाली थी, माल जिस प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में है, उस पर **वस्तु प्रदर्श–1** अंकित किया गया। माल को जिस सफेद कपडे में सील सर्वे मुहर किया गया था, उस पर **वस्तु प्रदर्श–2** अंकित किया गया। दूसरा पुलिंदा खोला तो उसके अंदर से सफेद रंग की पारदर्शी डिब्बी निकली, डिब्बी के अन्दर से काले रंग की पन्नी में से काले रंग का पदार्थ निकला। प्लास्टिक की डिब्बी पर **वस्तु प्रदर्श–3** तथा माल को जिस सफेद कपडे में सील सर्वे मुहर किया गया है उस पर **वस्तु प्रदर्श–4** अंकित किया गया।''

14– **पी0 डब्लू0 2 कॉ0 710 नेपाल सिहँ,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 02.05.2022 को थाना नगीना में कॉ0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैं कां0 129 लोकेश कुमार व उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहँ के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 41, समय 18:11 बजे, वास्ते गश्त व देखरेख शांति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मामूर होकर गश्त करते हुए डबल फाटक के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने पास आकर सूचना दी कि ग्राम आलेअलीपुर का हिस्ट्रीशीटर नौशाद, कालाखेडी फाटक के पास खडा है जिसके पास चरस है, जो चरस बेचने के लिए खडा है। यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर यकीन कर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है और मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिए। जब हम पुलिस वाले मुखबिर

द्वारा बताये स्थान कालाखेडी फाटक से पहले मोड के पास पहुॅचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि साहब जो व्यक्ति नीली जींस व गुलाबी रंग फूलदार शर्ट पहने खडा है, यही नौशाद है जिसके पास चरस है। इतना बताकर मुखबिर चला गया। इस पर हम पुलिस वालो ने बिना समय गवांये सिखलाये तरीके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर घोटकर पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछा तो पकडे हुए व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास चरस है। चरस की बात सुनकर उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ द्वारा पकडे व्यक्ति को बताया कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जायेगी। इस पर उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ द्वारा अपने मोबाईल फोन नं0 8279768840 से श्रीमान सी0ओ0 नगीना के सीयूजी नं0 9454401535 पर इस संबंध में जानकारी दी गयी तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना द्वारा बताया गया कि मै रास्ते में ही हूं और जल्दी ही आपके पास पहुँच रहा हूँ। क्षेत्राधिकारी नगीना घटनास्थल पर उपस्थित आये। जिस पर सी0ओ0 नगीना के आदेश पर उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ द्वारा मय कां0 710 नेपाल व कां0 लोकेश कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नौशाद पुत्र कमरूददीन, निवासी ग्राम आलेअलीपुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर, उम्र करीब 38 वर्ष बताया। जामा तलाशी से पहने जीन्स के दाहिने सुडडे से काली रंग की पोलीथीन में काले रंग की चरस बरामद हुयी। बरामद चरस को सूंघा व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाया तो चरस की बू आ रही थी। इस पर उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ द्वारा मैं व कां0 710 नेपाल सिंह को भेजकर तराजू बाट मंगाया गया। बरामद चरस को रुबरू श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना व गवाहान हमराहीयान के समक्ष तौलकर देखा गया तो अभियुक्त नौशाद से बरामद चरस का कुल वजन 510 ग्राम आया। बरामद चरस के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति से पूछा तो माफी मांगने लगा और बताया कि साहब मैं इस चरस को बेचने के लिए नगीना आया था और इस चरस को बेचकर मिले पैसे से मैं ईद का त्यौहार मनाता। पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय करीब 21:35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। बरामद चरस में से 50 ग्राम चरस निकालकर तौलकर बतौर नमूना अलग कर काले रंग की पोलीथीन में प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर, सफेद कपडे में रखकर सील कर सर्वे मुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। शेष 460 ग्राम चरस को एक अलग प्लास्टिक के डिब्बे में काली पोलीथीन में रखकर, सफेद कपडे में रखकर, सील कर, सील सर्वे मुहर किया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गई। फर्द को पढकर, सुनाकर, गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर कराये गये जिस फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है वह पत्रावली पर कागज सं0 क–7 पर मौजूद हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ।''

15– **पी0 डब्लू03 हेड कॉ0 262 जगन्नाथ सिहॅ** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनॉक 02.05.2022 को थाना नगीना में हेड कॉ0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने फर्द के आधार पर फर्द का शब्द व शब्द बोलकर कम्प्यूटर पर कां0 1610 आनन्द कुमार से मुकदमा अपराध संख्या 141/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना नगीना, सरकार बनाम नौशाद के विरूद्व टंकित कराया था जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–6/1 ता 6/4 पर मौजूद है जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया। मुकदमें का खुलासा उसी दिन दिनॉक 02.05.2022 को समय 23:05 बजे, जी0डी0 नं0 65 पर कम्प्यूटर पर कराया था जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–10 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया।''

16– **पी0 डब्लू04 विवेचक उपनिरीक्षक अजय कुमार**, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 02–05–2022 को थाना नगीना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मुकदमा अपराध संख्या 141/2022, धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट,–थाना नगीना, सरकार बनाम नौशाद की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 03.05.2022 को सी0डी0

प्रथम में नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक हेड कॉ0 262 जगन्नाथ सिहॅ, बयान वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ, बयान अभियुक्त नौशाद सी0डी0 में अंकित किए। दिनॉक 06.05. 2022 को सी0डी0 द्वितीय में फर्द गवाह कां0 नेपाल सिहॅ, अंकित किए गए तथा वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिहॅ की निशानदेही पर मौके पर साथ ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर अपने हस्तलेख में नक्शा नजरी तैयार किया जो कि पत्रावली पर कागज सं0 अ–4 पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया तथा संलग्न सी0डी0 किया गया। दिनॉक 16.05. 2022 को सी0डी0 3 में न्यायालय द्वारा अभियुक्त का 14 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। सी0डी0 4 में सी0ओ0 नगीना श्री सुमित शुक्ला, गवाह कां0 129 लोकेश शर्मा के बयान अंकित किए गए। उपरोक्त मुकदमे से सबंधित माल परीक्षण हेतु कां0 1322 जफर हुसैन के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद में दाखिल कराया गया। दाखिले की प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया तथा कां0 1322 जफर हुसैन के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा तमामी विवेचना के आधार पर नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान गवाहान, नक्शा नजरी के आधार पर मु0अ0सं0 141/2022, धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना नगीना, जिला बिजनौर में सरकार बनाम नौशाद के विरूद्व आरोप पत्र सं0 132/2022 दिनॉक 16–05–2022 को न्यायालय में प्रेषित किया जिसकी कम्प्यूट्रीकृत कापी पत्रावली पर कागज संख्या क–3/1 ता 3/4 पर मौजूद है जिस पर मेरे, तत्कालीन थाना प्रभारी व सी0ओ0 के हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया। दिनॉक 20. 05.2022 को एस0सी0डी0 प्रथम में उपरोक्त मुकदमे से संबंधित माल की परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया गया जिसकी एफ0एस0एल0 रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 क–8 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–10** अंकित किया गया।''

17– **पी0 डब्लू0 5 कॉ0 जफर हुसैन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनॉक 07. 05.2022 को थाना नगीना में कॉ0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल जो कि सीलबंद अवस्था में था, का एक बंडल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद में क्रमांक सं0 आर.एफ.एस.एल(एम.ओ.आर.)/1371/सी.एच.इ./549/22 पर दिनॉक 07–05–2022 को दाखिल करके आया था। दाखिले की प्राप्ति रसीद लाकर थाने पर दी थी।''

18– **बचाव साक्षी डी0डब्लू–1 शमा** ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि ''दिनॉक 01–01–2022 को सुबह 8:00 बजे मैं, मेरी सास और मेरे पति नौशाद घर पर थे, तभी पुलिस वालो ने मेरे पति नौशाद को आवाज दी, मेरे पति घर से बाहर गये तो पुलिस वालो ने कहा कि थाने चलो, तुम्हे थानेदार ने बुलाया है। मैं और मेरी सास उनकी बात दरवाजे पर खडी हुई सुन रही थी तब हमने कहा कि उन्हें थाने क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब ने बुलवाया है। थाने पर फोटो खिचवाना व उनसे बात करनी है। कुछ देर बाद उन्हें छोड देगें। थाना नगीना से एक दरोगा, 02 सिपाही मेरे पति को थाने ले गये। शाम तक जब वे नहीं आये तो मैं और मेरी सास थाने गये तो उन्होंने कहा कि अभी साहब नहीं बैठे है, उन्हें छोड देगें। पूरी रात तक उन्हें नहीं छोडा, अगले दिन भी नहीं छोडा। दिनांक 03–01–2022 को दोपहर में हमें पता चला कि उनको चरस के झूंठे मुकदमें में पकड लिया है और उनका चालान कर दिया है। हमने 2–3 जगह शिकायत की पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे ससुर मौ0 कमरूददीन ग्राम प्रधान थे। उनकी मृत्यु के (ढाई वर्ष बाद) मेरे पति एक माह के लिए प्रधान बने। इसके बाद नौशाद व असलम के बीच प्रधानी का चुनाव हुआ उसमे नौशाद 13 वोटो से हार गया फिर मेरे देवर मौ0 आलम अगली बार प्रधानी में खडे हुए, विपक्षी असलम जीत गये। असलम से चुनावी रंजिश के कारण मेरे पति को झूंठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस संबंध में मैं फोटोप्रति कागजात दाखिल कर रही हूँ। मेरे पति व देवर दोनों बम्बई में बेकरी का काम करते है, उसकी आमदनी से ही घर का खर्च चलाते है, जो सही है मैं वही बयान दे रही हूं।''

19– अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि दिनॉक 02–05–2022 को थाना नगीना की पुलिस द्वारा अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर

गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगीना की मौजूदगी में अभियुक्त की जामा तलाशी से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई जिसे रखने का कोई लाईसेंस अभियुक्त नहीं दिखा सका। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त से की गई बरामदगी, कथित घटना को पूर्ण रूप से समर्थित किया है तथा अभियुक्त से बरामद माल व समस्त अभियोजन प्रपत्रो को विधिवत साबित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में भी बरामद माल चरस होना पाया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कोई ऐसा मुख्य विरोधाभाष नहीं है जिससे अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा हो। प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्व किया जाए।

20– अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि–पुलिस द्वारा अपना गुडवर्क दिखाने के लिए असलम प्रधान से हमसाज होकर उसे झूँठा फंसाया गया है तथा उससे कोई चरस की बरामदगी नहीं हुई है। वादी मुकदमा द्वारा धारा 50, 52 व 52ए एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कई महत्वपूर्ण तथ्यो को लेकर घोर विरोधाभाष है तथा अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से तथा वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो का अनुपालन न करने से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

21– अभियोजन द्वारा, दिनॉक 02–05–2022 को समय 21:35 बजे, पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 02 तथ्यात्मक साक्षियो को प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिहॅ को बतौर पी0डब्लू–1 एवं बरामदगी के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी कॉ0 नेपाल सिहॅ को बतौर पी0डब्लू–2 परीक्षित कराया है। उपरोक्त दोनों साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में दिनॉक 02–05–2022 को मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करना तथा उसके कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगीना की उपस्थिति में बरामद किया जाना, उक्त बरामद माल को मौके पर सील किया जाना तथा 50 ग्राम चरस बतौर नमूना निकालकर उसे अलग कर प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर, सफेद कपडे में रखकर सील सर्वे मुहर किया जाना कथित किया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 द्वारा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–2, नमूना मुहर को प्रदर्श क–3, जी0डी0 रवानगी को प्रदर्श क–4, माल रजिस्टर की छाया प्रति को प्रदर्श क–5, डिब्बे को वस्तु प्रदर्श–1 पुलिंदे के कपडे को वस्तु प्रदर्श–2, दूसरे पुलिंदे के प्लास्टिक के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श–3 तथा दूसरे पुलिंदे के कपडे को वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 ने अभियुक्त से बरामद माल को अविलम्ब दिनॉक 07–05–2022 को सील बंद अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद में क्रमांक सं0 आर.एफ.एस.एल(एम.ओ.आर.)/1371/सी.एच.ई/549/22 पर दाखिल करना, कथित किया है। अभियोग के विवेचक पी0डब्लू–4 द्वारा अभियुक्त से बरामद माल की परीक्षण रिपोर्ट जिसमें बरामद माल चरस होना पाया जाना अंकित है, को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रदर्श क–10 में अभियुक्त से बरामद अवैध चरस में नमूना माल के तौर पर अलग की गई 50 ग्राम चरस को अन्तर्वस्तु के विश्लेषण में चरस पाया जाना अंकित है। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गये माल पर अंकित मुद्रा भी वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिहॅ के नाम से मेल खा रही है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद होना साबित हो रहा है।

22– अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है व न ही उसकी

गिरफ्तारी की सूचना उच्चाधिकारियो को दी गयी जिससे समस्त अभियोजन कथन व उससे की गई बरामदगी संदिग्ध हो रही है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि ''मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन नं0 8279768840 से श्रीमान क्षेत्राधिकारी, नगीना महोदय के सीयूजी नं0 9454401535 पर इस संबंध में जानकारी दी गयी तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी, नगीना द्वारा बताया गया कि मै रास्ते में ही हूं और जल्दी ही आपके पास पहुँच रहा हूँ। श्रीमान क्षेत्राधिकारी, नगीना घटनास्थल पर उपस्थित आये। इस पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगीना के आदेश पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कां0 710 नेपाल व कां0 129 लोकेश कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नौशाद पुत्र कमरूददीन, निवासी ग्राम आलेअलीपुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर, उम्र करीब 38 वर्ष बताया। जामा तलाशी से पहने जीन्स की पेन्ट के दाहिने सुड्डे से काली रंग की पोलीथीन में काले रंग की चरस बरामद हुयी।'' अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 व 2 ने भी अपनी साक्ष्य में क्षेत्राधिकारी, नगीना जो कि एक राजपत्रित अधिकारी है, का मौके पर आना तथा उनकी उपस्थिति में ही वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद होना, कथित किया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 पर क्षेत्राधिकारी, नगीना के हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस मामले में स्वयं अभियुक्त द्वारा अपनी जामा तलाशी पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगीना के समक्ष दी गई है जो कि एक राजपत्रित अधिकारी है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी मुकदमा या अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधान व अन्य प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो।

23– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा घटना का काई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह सही है कि अभियोजन द्वारा घ टना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नही किया गया है परन्तु अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में यह अंकित है कि ''मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये।'' इस संबंध में वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 ने अपनी साक्ष्य के पृष्ठ सं0 2 पर यह कहा है कि ''मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये।'' इस साक्षी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 5 पर पुनः यह कहा है कि ''हमने जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की थी लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ।'' इसी प्रकार घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 ने भी अपनी साक्ष्य के पृष्ठ सं0 3 पर यह कहा है कि ''मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा मौके पर स्वतंत्र साक्षी लेने का प्रयास किया गया परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कृपाल सिहँ बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 2013 (सुप्रीम कोर्ट) 296** में यही विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य विश्वसनीय हो, तो साक्षियो की साक्ष्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी से न कराया जाना अभियोजन कथन के लिए घातक नहीं है। आज के सामाजिक परिवेश में यह स्वभाविक है कि कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में गवाह बनने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। इस अभियोग में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 व 2 ने घटना को पूरी तरह से समर्थित किया है तथा विधि विज्ञान प्रयोशाला की आख्या प्रदर्श क–10 में अभियुक्त से बरामद माल का चरस होना पाया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य विश्वसनीय है व उनकी साक्ष्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी से न कराये जाने से अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है।

24– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उसकी जामा तलाशी से पूर्व आपसी जामा तलाशी नहीं ली गई जिससे समस्त अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा द्वारा यह अंकित किया गया है कि ''मुखबिर खास की सूचना पर यकीन कर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है।'' इस संबंध में पी0डब्लू–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ सं01 पर यह कहा है कि ''मुखबिर खास की सूचना पर यकीन कर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है।'' इसी साक्षी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 5 पर पुनः यह कहा है कि ''यह बात भी सही है कि हमने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ली थी।'' इसी प्रकार घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 ने भी अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 5 पर यह कहा है कि ''मेरी जामा तलाशी लोकेश ने ली थी, दारोगा जी की जामा तलाशी मैंने ली थी, मेरी जामा तलाशी दारोगा जी ने ली थी, लोकेश की जामा तलाशी दारोगा जी ने ली थी।'' उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त की जामा तलाशी से पूर्व वादी मुकदमा व अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा आपसी जामा तलाशी ली गई थी। उपरोक्त परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त की जामा तलाशी से पूर्व पुलिस पार्टी द्वारा आपसी जामा तलाशी ना ली गई हो।

25– अभियोजन द्वारा दिनांक 02–05–2022 को पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद होना कथित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या व वादी द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधानो का अनुपालन करने से अभियुक्त से अवैध चरस बरामद होना साबित हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्व होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

26– सेशन्स वाद संख्या 484 सन् 2022, मुकदमा अपराध संख्या 141/2022, थाना नगीना, जिला बिजनौर में अभियुक्त नौशाद को धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्व किया जाता है।

27– अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। उसे दण्ड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

दिनांकः 31–03–2026

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6174

28– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुयी। दण्ड की मात्रा के प्रश्न पर दोषसिद्व के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 अधिनियम) को सुना गया।

29– दोषसिद्व के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्व का यह प्रथम अपराध है। पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह गरीब आदमी है तथा अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। अतः उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड दिया जाये।

30– अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त का वृहद आपराधिक इतिहास है। उसके विरूद्व 28 मुकदमें दर्ज है। उसके विरूद्व दर्ज मुकदमो की सूची पत्रावली पर दाखिल की गयी है। दोषसिद्व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके कब्जे से पुलिस द्वारा लगभग 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। दोषसिद्व को कठोरतम दण्ड दिया जाये।

31– मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया।

32– मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्व को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

सेशन्स वाद संख्या 484 सन् 2022, मुकदमा अपराध संख्या 141/2022, थाना नगीना, जिला बिजनौर में दोषसिद्व नौशाद को आरोप अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम में 05 वर्ष का कारावास, 10,000/–रूपये के अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्व द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

बरामद शुदा माल बाद म्याद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

दोषसिद्ध को सजायाबी वारन्ट के साथ दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार, बिजनौर भेजा जाये।

निर्णय की प्रति दोषसिद्व को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 31–03–2026

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6174

निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांकः 31–03–2026

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6174

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.03.31 16:59:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court